न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/183 दायरा दिनांक : 07.10.2022

उनवान

1. रमेश कुमार पुत्र डूंगरीलाल
2. कमल पुत्र बालकिशन
3. मानू पुत्र बालकिशन
4. सुनीताबाई पत्नी बालकिशन, जातियान कोली, निवासीगण रंगबाडी, कोटा, जिला कोटा राजस्थान
5. चमेलीबाई पुत्री औंकारलाल पत्नी रामचन्द्र, जाति कोली, निवासी डडवाडा, कोटा
6. शांतिबाई पुत्री औंकारलाल पत्नी पूरण चन्द, जाति कोली, निवासी लाखेरी नयापुरा, तहसील व जिला बून्दी राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1. चंचल पुत्र स्वर्गीय श्री जगदीश चन्द्र, जाति ब्राहमण
2. हरीश पुत्र स्वर्गीय श्री जगदीश चन्द्र, जाति ब्राहमण
3. श्रीमती बृजेशबाला पत्नी स्वर्गीय श्री जगदीश चन्द्र, जाति ब्राहमण, निवासीगण बाबजी नगर मेन रोड़ बारां
4. श्रीमती लक्ष्मी शर्मा पुत्री स्वर्गीय श्री जगदीश चन्द्र पत्नी श्री नरेन्द्र शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी बारां हाल निवासी सुल्तानपुर, तहसील दीगोद, जिला कोटा
5. श्रीमती संतोष पुत्री स्वर्गीय श्री जगदीश चन्द्र पत्नी श्री हेमराज, जाति ब्राहमण, निवासी बारां हाल रामगंजमण्डी, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा
6. श्रीमती रेखा शर्मा पुत्री स्वर्गीय श्री जगदीश चन्द्र पत्नी श्री मनीष शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी बारां हाल विवेकानन्द सर्किल कोटा
7. मंदिर श्री कल्याणराय जी विराजमान बारां जर्ये सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, लाडपुरा, कोटा, जिला कोटा राजस्थान
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री ओ. पी. मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री हरिओम चतुर्वेदी व श्री सुमित मीना अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 6 की ओर से, शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 22.08.2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 2/2021 निर्णय दिनांक 28.04.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंटगण 1 लगायत 6 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91क, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वाके माल ग्राम पीपल्दा, तहसील बारां मे माफी मंदिर श्री कल्याणराय जी विराजमान बारां सहखातेदार कन्हैया लाल, मदन लाल पुत्र मुस० केसर पत्नी जगन्नाथ, जाति ब्राहमण, सा० बारां के नाम से संवत 2015 से 2024 मे साबिक खसरा नं. 246 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 247 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 248 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 251 रकबा 29 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 257 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 258 रकबा 27 बीघा कुल किता 6 कुल रकबा 95 बीघा 3 बिस्वा स्थित है जिसके नये खसरा नं. 246/541 रकबा 0.22 हेक्टर, खसरा नं. 439 रकबा 1.41 हेक्टर, खसरा नं. 441 रकबा 1.37 हेक्टर, खसरा नं. 442 रकबा 0.23 हेक्टर, खसरा नं. 443 रकबा 2.41 हेक्टर, खसरा नं. 448 रकबा 4.00 हेक्टर, खसरा नं. 448/542 रकबा 0.30 हेक्टर, खसरा नं. 456 रकबा 0.87 हेक्टर, खसरा नं. 458 रकबा 2.46 हेक्टर, खसरा नं. 460 रकबा 1.87 हेक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 15.14 हेक्टर वाके माल ग्राम पीपल्दा, तहसील बारां, जिला बारां कायम किये गये है उक्त आराजियात वाद पत्र मे आगे विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय दिनांक 28.04.2022 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 28–04–2022 की पूर्ण वास्तविक रिकार्ड की तहकीकात नहीं की गई, न ही इंतकाल कमांक 34 के संदर्भ में कोई जानकारी ली गई जबकि ग्राम पीपल्दा, तहसील बारां की आराजी खसरा नं. 248 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा खसरा नं. 258 रकबा 27 बीघा कुल दो किता कुल रकबा 40 बीघा 17 बिस्वा सम्मत 2021–2036 तक अपीलांटगण के पिता व दादाजी, ससुर के खातेदारी एवं स्वामित्व में थी जिसके संदर्भ में कोई रिपोर्ट नहीं ली गई जबकि जगन्नाथ के दोनों पुत्रों कन्हैयालाल, मदनलाल, जाति ब्राहमण, निवासीगण बारां द्वारा दिनांक 21–05–1966 को विक्रय पत्र का पंजीयन 4100/– रूपये प्राप्त कर डूगंरीलाल व ओंकार के पक्ष में करवाया गया जिसके आधार पर इंतकाल कमांक 34 खोला गया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत उक्त निर्णय दिनांक 28–04–2022 विधि विरुद्ध होने से काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पीपल्दा की आराजी खसरा नं. 248 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नं.

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

258 रकबा 27 बीघा के हाल खसरा नं. 443 रकबा 2.41 हेक्टेयर, खसरा नं. 458 रकबा 2.46 हेक्टेयर, खसरा नं. 460 रकबा 1.87 हेक्टेयर के संदर्भ मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के न्यायालय मे वाद कमांक 43/2008 बउनवान गंगाबाई वगैरा बनाम राजस्थान सरकार, मंदिर श्री कल्याणराय जी विराजमान बारां अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 आर.टी. एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट का प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें आगामी तारीख पेशी 01–09–2022 नियत है जिसके तथ्यों को छुपाकर अपीलांटगण द्वारा उक्त वाद कमांक 2/2021 प्रार्थना पत्र कमांक 2/2021 चंचल वगैरा बनाम मंदिर श्री कल्याणराय जी प्रस्तुत किये गये जिसमें बिना अपीलांटगण को पक्षकार बनाये निर्णय दिनांक 28–04–2022 पारित किया गया है जबकि रेस्पो० कम 1 लगायत 6 के पूर्वज मदनलाल, कन्हैयालाल पुत्रगण जगन्नाथ द्वारा दिनांक 21–05–1966 को 4100/– रूपये मे डूंगरीलाल ओंकार लाल को विक्रय कर, विक्रय पत्र का पंजीयन कराया गया जिसके आधार पर नामान्तकरण 34 खोला जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जा चुका है उक्त तथ्यों को छुपाकर रेस्पो० कम 1 ता 6 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से निर्णित किया गया है जिसे न्यायहित मे निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया जिसके लिये अपीलांटगण धारा 96 सी.पी.सी के प्रार्थना पत्र के साथ उक्त अपील प्रस्तुत कर रहे हैं धारा 96 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है जिसके आधार पर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां का निर्णय दिनांक 28–04–2022 प्रकरण संख्या 2/2021 बउनवान चंचल वगैरा बनाम मंदिर कल्याणराय जी निरस्त किया जाकर इस दिशा निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे कि अपीलांटगण को पक्षकार बनाया जाकर विधि सम्मत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 16.08.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता स्वीकार किया जावे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया, पेश किये गये दस्तावेज राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मंदिर कल्याणराय जी व तहसीलदार को पक्षकार बनाया। इसी आराजी बाबत एक दावा गंगाबाई बनाम सरकार, देवस्थान अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है। जिसमें धारा 212 में स्थगन आदेश जारी है इस तथ्य को छुपाकर निर्णय पारित करवा लिया। वादी रेस्पोडेट पुजारी बनकर आये हैं। अधीनस्थ न्यायालय में 6 वादी है क्या 6 पुजारी हो सकते हैं। इनके पूर्वजों रेस्पोडेंट ने दिनांक 21.05.2006 को रजिस्टर सेल से अपीलांट के पिता व पति औंकारलाल को रजिस्ट्री करवा रखी है। नामान्तरकरण संख्या 34 खुला है तो हमें पक्षकार क्यों नहीं बनाया। अस्थायी निषेधाज्ञा के आधार पर कब्जा नहीं ले पाये तो धारा 145 में परिवाद पेश किया। उपखण्ड अधिकारी ने देवस्थान विभाग को पक्षकार नहीं बनाया। 145 में रिसीवर नियुक्त किया जिसकी निगरानी की। हमने डी. जे. ने पत्रावली अअधीनस्थ न्यायालय को भेजी और धारा 145 रिसीवरी का निर्णय निरस्त हुआ। हाई कोर्ट में रेस्पोडेंट ने अपील कर रखी है सिविल कोर्ट के निर्णय की। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कर हमें पक्षकार बनाकर प्रकरण पुनः सुनवायी हेतु रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि गंगाबाई बनाम राजस्थान सरकार में केवल खसरा नं. 248 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नं. 258 रकबा 27 बीघा कुल रकबा 40 बीघा 17 बिस्वा है। वादग्रस्त आराजी के खातेदार नहीं है केवल कब्जेधारी है। वादग्रस्त आराजी क्रय की तो खाते दर्ज क्यों नहीं हुई। मंदिर की आराजी को विक्रय नहीं किया जा सकता। धारा 145 की कार्यवाही का इस दावे पर असर नहीं पड़ रहा है वह केवल शांति कायम करने हेतु है। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र का निर्णय सही है क्योंकि खातेदार नहीं है तो धारा 96 सी. पी. सी. में भी नहीं आ सकते। मंदिर की आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। हम वादग्रस्त आराजी पर केश सिक्यूरिटी जमा कराकर काश्त कर रहे हैं। वादग्रस्त आराजी पर हमें खातेदारी नहीं दी है हम पुजारी हैं, इसलिए केश सिक्यूरिटी पर काश्त का निर्णय पारित किया है। अतिक्रमी को कब्जे के आधार पर मंदिर की आराजी पर खातेदारी प्राप्त नहीं हो सकती है। रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू. 2008 (2) आर.जे. पेज 1147, आर.बी.जे. (7) 2000 पेज 251 की नजीरे उद्धरत की।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

गया। अतः न्यायहित में धारा 96 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता स्वीकार किया जाता है।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंटगण द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91क, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम पीपल्दा, तहसील बारां में माफी मंदिर श्री कल्याणराय जी विराजमान, जाति ब्राह्मण साकिन बारां के नाम से सवंत 2015–2024 में कुल किता 6 कुल रकबा 95.03 बीघा आराजी स्थित है जिसके हाल खसरा नं. 246/541 रकबा 0. 22 हेक्टर, खसरा नं. 439 रकबा 1.41 हेक्टर, खसरा नं. 441 रकबा 1.37 हेक्टर, खसरा नं. 442 रकबा 0.23 हेक्टर, खसरा नं. 443 रकबा 2.41 हेक्टर, खसरा नं. 448 रकबा 4.00 हेक्टर, खसरा नं. 448/542 रकबा 0.30 हेक्टर, खसरा नं. 456 रकबा 0.87 हेक्टर, खसरा नं. 458 रकबा 2.46 हेक्टर, खसरा नं. 460 रकबा 1.87 हेक्टर कुल किता 10 रकबा 15.14 हेक्टर कायम किये गये हैं। विवादित आराजी संवत 2015–2028 लगायत 2029–2032 तक कन्हैयालाल, मदनलाल पुत्र मुस, केसर पत्नी जगन्नाथ, जाति ब्राह्मण, निवासी बारां बदस्तूर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज व कब्जे काश्त में चली आ रही थी। भू–प्रबन्ध विभाग के सेटलमेंट संवत 2038–2057 में उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड से कन्हैयालाल, मदनलाल पुत्र मुस. केसर पत्नी जगन्नाथ का नाम हटाकर उक्त आराजियात को केवल मंदिर कल्याणराय जी विराजमान बारां के नाम दर्ज कर दी गयी है जबकि उसमें सहखातेदार के रूप में हमारा नाम दर्ज किया जाना आवश्यक था क्योंकि उक्त विवादित आराजियात अपनी माता मुस. केसर पत्नी जगन्नाथ के समय से कब्जा काश्त में चली आ रही है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां बारां ने अपने निर्णय दिनांक 28.04.2022 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपने निर्णय में अंकित किया कि संवत 2015–2028 की खतौनी बंदोबस्त से प्रार्थी के पूर्वजों का नाम माफी मंदिर श्री कल्याणराय जी के साथ खातेदारी में चला आ रहा है उक्त विवादित आराजी पूर्व में वादी के पूर्वजों का तथा उनके मरने के बाद प्रार्थीगणों का कब्जा काश्त चला आ रहा है। विवादित आराजी की काश्त व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तथा किसी प्रकार की अशांति पैदा न हो, को देखते हुए विवादित भूमि की काश्त हेतु मूल वाद के निर्णय तक 2000/– प्रति बीघा केस सिक्योरिटी राशि जमा कराने का आदेश दिया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण प्रतिवर्ष 30 जून तक तहसील कार्यालय में केस सिक्योरिटी राशि जमा करा देता है तो प्रार्थी भूमि को काश्त कर सकता है। यदि प्रार्थी 30 जून तक केस सिक्योरिटी राशि जमा कराने में असफल रहता है तो तहसीलदार बारां उक्त भूमि को कब्जे राज लेकर काश्त व्यवस्था सुनिश्चित करें।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.04.2022 से अप्रसन्न होकर अपील में अंकित अपीलांटगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. के तहत न्यायालय हाजा में दिनांक 07.10.2022 को प्रकरण संख्या 2022/183 से अपील दायर कर अपनी अपील में कथन किया कि ग्राम पीपल्दा, तहसील बारां की आराजी खसरा नं. 248 रकबा 13.17 बीघा, खसरा नं. 258 रकबा 27 बीघा कुल 2 किता कुल रकबा 40.17 बीघा, सवंत 2021–2036 तक अपीलांटगण के पिता व दादाजी, ससुर के खातेदारी एवं स्वामित्व में थी जिसके संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं ली गयी। जगन्नाथ के दोनों पुत्रों कन्हैयालाल, मदनलाल द्वारा दिनांक 21.05.1966 को विकय पत्र का पंजीयन प्रतिफल राशि 4100/– रूपये प्राप्त कर डूंगरीलाल व औंकार के पक्ष में करवाया जाकर इसके आधार पर इंतकाल नं. 34 खोला गया। इन तथ्यों को छुपाकर रेस्पोडेंट कम 1 ता 6 द्वारा प्रार्थन पत्र प्रस्तुत किया गया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से निर्णित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय बांरा निर्णय दिनांक 28.04.2022 निरस्त किया जाकर इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि अपीलांटगण को पक्षकार बनाया जाकर विधिसम्मत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न खतौनी बन्दोबस्त संवत 2015से 2028 के अनुसार ग्राम पीपल्दा, तहसील बारां की खाता सं. 51 खसरा नं. 246, 247, 248, 251, 257, 258 कुल किता 6 कुल रकबा 95.03 बीघा विवादित आराजी माफी मन्दिर श्री कल्याणराय जी विराजमान बारां व कब्जा कन्हैया लाल, मदनलाल व मु0 केसर कोम ब्राहमण साकिन बारां दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत 2025 से 2028 एवं 2029 से 2032 के अनुसार ग्राम पीपल्दा, तहसील बारां की खाता सं. 13 खसरा नं. 246, 247, 251, 257 कुल किता 4 कुल रकबा 54. 06 बीघा आराजी कन्हैया लाल, मदनलाल व मु0 केसर साकिन बारां की खातेदारी में दर्ज

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

रिकार्ड है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.05.66 के अनुसार कन्हैया लाल, मदनलाल ने ग्राम पीपल्दा, तहसील बारां के खसरा नं. 248 रकबा 13.17 बीघा एवं खसरा नं. 258 रकबा 27 बीघा आराजी प्रतिफल राशि 4100/– रूपये में डूंगरीलाल, औंकारलाल पुत्र धूलीलाल, निवासी समसपुर, तहसील बारां को बेचान की गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2021 से 2024 के अनुसार खसरा नं. 246, 247, 248, 251, 257, 258 कुल किता 6 कुल रकबा 95.03 बीघा आराजी (ई. नं. 18 से माफी रिज्यूम श्री कल्याणराय जी रिज्यूम 1/1/59 से) कन्हैयाल ाल, मदनलाल व मु. केसर ब्राहम्ण, साकिन बारां बाट बराबर दर्ज है। इसी जमाबंदी में नामान्तरकरण नं. 34 से डूंगरीलाल, औंकारलाल पुत्र धूलीलाल कोली समसपुर वाले को बेचान 4100/– रूपये दर्ज करने का आदेश हो चुका है, यह नोट अंकित है। जमाबंदी संवत 2029 से 2032, 2033 से 2036 ग्राम पीपल्दा, तहसील बारां के अनुसार खसरा नं. 248 रकबा 13.17 बीघा, खसरा नं. 258 रकबा 27 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 40.17 बीघा आराजी डूंगरीलाल व औंकारलाल पिसरान धूलीलाल कौम कोली साकिन समसपुर बांट बराबर दर्ज रिकार्ड है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में एवं अपील के साथ प्रस्तुत उपरोक्त समस्त दस्तावेजों के अवलोकन अनुसार यह स्पष्ट है कि प्रार्थी (वादी) रेस्पोडेंटगण के पूर्वज कन्हैया लाल, मदनलाल द्वारा अपीलांट के पिता व दादा के पक्ष में खसरा नं. 248 व 258 रकबा 40.17 बीघा आराजी के विक्रय के तथ्य छुपाते हुए दावा व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अपीलांट खसरा नं. 248 व 258 की विवादित आराजी के केता डूंगरीलाल व औंकार लाल के वारिसान है। अपीलाधीन निर्णय में इन्हें पक्षकार नहीं बनाने से अपीलांट अपना पक्ष रखने से वंचित रह गये हैं। विवादित आराजी खसरा नं. 248 व 258 के सन्दर्भ में अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत गंगाबाई बेवा डूंगरीलाल वगैरहा बनाम राजस्थान सरकार वाद सं. 43/2008 से न्यायालया उपखण्ड अधिकारी बारां के न्यायालय में विचाराधीन है। दौराने बहस अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने गंगाबाई बनाम सरकार का दावा विचाराधीन होना स्वीकार किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नकल निर्णय दिनांक 07.06.2024 न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./ज.जा.(अ.नि.प्र.) बारां राजस्थान अपराधिक निगरानी सं. 18/2024 बउनवान धनराज बनाम चंचल वगैरा में विवादित आराजी के सन्दर्भ में निर्णय पारित करते हुए निगरानी याचिका स्वीकार कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बारां को दोनों पक्षों तथा देव स्थान विभाग कोटा को सुनवायी का अवसर देते हुए धारा 145 सपठित धारा 146 द.प्र.सं. के परिवाद पर नवीन आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है। इस निर्णय में भी न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./ज.जा.(अ.नि.प्र.) बारां राजस्थान द्वारा यह माना है कि दोनों पक्षों द्वारा अपने अधिकारों के संबंध में राजस्व न्यायालय में अलग अलग प्रकरण प्रस्तुत कर रखे हैं, राजस्व रेकार्ड में मंदिर मूर्ति श्री कल्याणराय जी के नाम भूमि दर्ज होने के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

बावजूद देवस्थान विभाग कोटा को सुने बिना जो आदेश पारित किया है वह अविधिक, अशुद्ध व अनोचित्यपूर्ण होना प्रकट होता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न बन्दोबस्त जमाबंदी संवत 2038 से 2057 के अनुसार विवादित उपरोक्त सम्पूर्ण खसरा नं. 439, 441, 442, 443, 448, 456, 458, 460, 246/541, 448/542 कुल किता 10 कुल रकबा 15.14 हेक्टर मंदिर श्री कल्याणराय जी विराजमान बारां के खाते दर्ज हुई है, जो वर्तमान में मंदिर के ही खाते दर्ज रिकार्ड है। मिलान क्षेत्रफल बदोबस्त विभाग की नकल अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न है। अपीलांट के पूर्वज डूंगरीलाल, औंकारलाल द्वारा क्रय की गई साबिक खसरा नं. 248 का नया खसरा नं. 443 रकबा 2.41 हेक्टर एवं साबिक खसरा नं. 258 मिन के नये खसरा नं. 458 रकबा 2.46 हेक्टर एवं खसरा नं. 460 रकबा 1.87 हेक्टर बने हैं, जो वर्तमान में मंदिर श्री कल्याणराय जी के खाते दर्ज है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंटगण के हक एवं अधिकारों का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन दावों में होना है। अधीनस्थ न्यायालय ने वर्तमान अपीलाधीन निर्णय में देवस्थान विभाग एवं अपीलांट को सुने बिना ही सम्पूर्ण विवादित आराजी पर 2000/– रूपये प्रति बीघा के हिसाब से केस सिक्योरिटी की राशि प्रति वर्ष 30 जून तक जमा करवाने पर प्रार्थी रेस्पोडेंट काश्त कर सकेगे। यह निर्णय पारित किया है, जो विधि मान्य नहीं है। प्रति बीघा 2000/– रूपये राशि प्रति वर्ष निर्धारित करने से पूर्व अप्रार्थी कम 2 तहसीलदार बारां से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है। उपरोक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से तथा देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार एवं अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित करने के कारण हम प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.04.2022 खारिज किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट को पक्षकार बनाकर सुनवायी एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अप्रार्थी कम 1 व 2 से जवाब प्राप्त कर प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.09.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/08/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा